भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 473

06.02.2023 को उत्तर के लिए

बाघ की उप-प्रजातियों में आनुवंशिक अंत:प्रजनन

473: श्री बिद्युत बरन महतो :
श्री दुष्यंत सिंह :
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे :
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे :
श्री सुधीर गुप्ता :
श्री प्रतापराव जाधव :
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न रिजर्व में बाघों की उप-प्रजातियों में आनुवंशिक अंत-प्रजनन देखा गया है और यदि हां, तो विशेषरूप से रणथंभौर और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व सहित तत्संबंधी राज्य-वार/जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) अंत:प्रजनन के प्रतिकूल प्रभाव और इसके कारण पैदा विभिन्न आनुवंशिक रूपों पर किए गए अध्ययन, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है;

(ग) पृथक रहने से उत्पन्न अंत:प्रजनन को रोकने के लिए बाघों की रिजर्व के भीतर गतिशीलता सुनिश्चित करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) वर्तमान में जिन राज्यों में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यान्वित किया जा रहा है, उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ड.) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त परियोजना के अंतर्गत बजटीय आवंटन और जारी की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(च) बढ़ते मानव-बाघ संघर्ष को रोकने और बाघों की अप्राकृतिक मौत से रक्षा करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क, कूनो नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क और मुकुंद्रा टाइगर रिजर्व के बीच गलियारों की संख्या, स्थान, स्थिति और कोरिडोर की प्रचालनात्मकता के संबंध में उपलब्ध आंकड़े का ब्यौरा क्या है और उपरोक्त गलियारों का उपयोग करने वाले बाघों की संख्या, तिमाही-वार कितनी है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) और (ख): विशालकाय मांसाहारी जंगली जानवरों को जब कम संख्या में प्रजनन के लिए पृथक रखा जाता है तो उनमें अंत:प्रजनन अप्राकृतिक नहीं है। तथापि, हाल में कराए गए अध्ययनों ने यह दर्शाया कि रणथंभौर में बाघों की संख्या के जीवन दरों और प्रजनन संबंधी मानदंडों की तुलना भारत में अन्यत्र पाए जाने वाले बाघों के साथ की जा सकती है और इन अध्ययनों में अंत:प्रजनन के प्रतिकूल प्रभाव का कोई संकेत नहीं दर्शाया गया है। भारत में जंगली बाघों में अंत:प्रजनन डिप्रेशन के हानिकारक प्रभावों की कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ग): भारत सरकार द्वारा गलियारों के माध्यम से बाघों एवं अन्य जानवरों की आवाजाही सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) ने भारतीय वन्यजीव संस्थान के साथ मिलकर परस्पर अंतर्वर्ती क्षेत्रों/गलियारों में सड़क/रेल दुर्घटनाओं से वन्यजीवों और बाघों की सुरक्षा के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38ण (1)(छ) में निहित उद्देश्य के अनुरूप ''वन्यजीवों पर रेखीय अवसंरचना के प्रभावों को कम करने हेतु पारि-अनुकूल उपाय'' नामक एक दस्तावेज प्रकाशित किया है।

(ii) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) ने भारतीय वन्यजीव संस्थान के साथ मिलकर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38ण (1)(छ) में निहित उद्देश्य के अनुरूप देश में 32 प्रमुख बाघ गलियारों को अभिज्ञात किया है और उन्हें **"दीर्घकालिक संरक्षण हेतु बाघों को परस्पर संपर्क में रखना"** शीर्षक दस्तावेज में प्रकाशित किया है, जिनका संचालन उक्त अधिनियम की धारा 38V के तहत अधिदेशित बाघ संरक्षण योजना में उल्लिखित कार्यकलापों के माध्यम से किया जाता है।

(iii) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) ने भारतीय वन्यजीव संस्थान के साथ मिलकर रेखीय अवसंरचना के विकास में शामिल एजेंसियों के लिए जागरूकता संवर्धन कार्यशालाएं आयोजित की हैं जिनमें, अन्य एजेंसियों के साथ-साथ भारतीय रेलवे यातायात सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कार्मिक, भारतीय रेल के अभियंता, पारेषण लाइन संबंधी एजेंसियां शामिल हैं।

(iv) बाघों के जंगलों से भटकने की घटना से निपटने हेतु गलियारों सहित कोर और बफर क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए बाघ रिजर्वों को बाघ परियोजना की वर्तमान केंद्र-प्रायोजित स्कीम के माध्यम से निधीयन सहायता प्रदान की जाती है।

(घ): बाघ परियोजना को 18 बाघ रेंज वाले राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है और उसका ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ड.): गत तीन वर्षों के दौरान, बाघ परियोजना की वर्तमान केंद्र-प्रायोजित स्कीम को किए बजटीय आवंटन का ब्यौरा निम्नवत् है:

(करोड़ रूपए में)

वर्ष	बजट आबंटन
2019-20	282.57
2020-21	195.00
2021-22	220.00

गत तीन वर्षों के दौरान, बाघ परियोजना की वर्तमान केंद्र-प्रायोजित स्कीम के तहत राज्य सरकारों को जारी निधियों का ब्यौरा **अनुबंध-।।** में दिया गया है।

(च): भारत सरकार ने, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से, मानव-बाघ के बीच नकारात्मक संघर्षों को प्रबंधित करने हेतु एक त्रि-आयामी कार्यनीति का प्रस्ताव किया है, जो निम्नवत् है:-

(i) **सामग्री एवं संभार तंत्र संबंधी सहयोग :** वर्तमान में संचालित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम - बाघ परियोजना के माध्यम से बाघ रिजर्व क्षेत्रों से बाहर आने वाले बाघों से निपटने हेतु बाघ रिजर्वों को अवसंरचना और सामग्री की दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस वित्तीय सहायता के लिए बाघ रिजर्वों द्वारा प्रति वर्ष वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38V के तहत अधिदेशित समावेशी बाघ संरक्षण योजना (टीसीपी) के अंतर्गत एक वार्षिक प्रचालन योजना (एपीओ) के माध्यम से अनुरोध किया जाता है। *अन्य बातों के साथ-साथ,* आमतौर पर अनुग्रह राशि और मुआवजे के भुगतान, मानव-पशु संघर्ष के संबंध में आम जनता को जागरूक बनाने, उनका मार्गदर्शन करने एवं उन्हें परामर्श देने हेतु आवधिक जागरूकता अभियानों, विभिन्न प्रकार के संचार माध्यमों से सूचना के प्रसार, स्थिरीकरण उपकरण एवं दवाईयों की खरीद, संघर्ष की घटनाओं से निपटने हेतु वन कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण आदि जैसे कार्यकलापों के लिए सहायता की मांग की जाती है।

(ii) **पर्यावास संबंधी कार्यकलापों को सीमित करना :** किसी बाघ रिजर्व में बाघों की वहन क्षमता के आधार पर, एक समावेशी बाघ संरक्षण योजना (टीसीपी) के माध्यम से पर्यावास संबंधी कार्यकलापों को सीमित किया जाता है। बाघों की संख्या वहन क्षमता के स्तरों पर होने के मामले में यह सलाह दी जाती है कि पर्यावास संबंधी कार्यकलापों को सीमित किया जाना चाहिए ताकि बाघों सहित अन्य वन्यजीवों का अधिक संख्या में पर्यावास से बहिर्गमन न हो सके जिससे मानव-पशु संघर्ष में कमी आएगी। इसके अलावा, बाघ रिजर्वों के आस-पास के बफर क्षेत्रों में पर्यावास संबंधी कार्यकलापों को इस प्रकार सीमित किया जाता है कि वे प्रमुख/महत्वपूर्ण बाघ पर्यावास क्षेत्रों की दृष्टि से वांछित स्तर से कम हो और अन्य समृद्ध पर्यावास क्षेत्रों तक ही बाघों के आवागमन में सुविधा प्रदान करने हेतु उचित हो।

(iii) **मानक प्रचालन क्रियाविधि (एसओपी) :** मानव-पशु संघर्ष से निपटने हेतु राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने निम्नलिखित तीन एसओपी जारी की हैं जो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं :

i. आवासीय क्षेत्रों में बाघों के भटक जाने के कारण उत्पन्न आपातकाल की स्थिति से निपटना

ii. बाघों द्वारा पशुओं पर हमले की घटनाओं से निपटना

iii. भू-परिदृश्य स्तर पर बाघ रिजर्व क्षेत्रों से बाघों के पुनर्वास के लिए सक्रिय प्रबंधन करना।

इन तीन मानक प्रचालन क्रियाविधियों में, अन्य बातों के साथ-साथ, संघर्ष में कमी लाने हेतु पर्यावासों से बाहर आने वाले बाघों को प्रबंधित करने, पशुओं के मारे जाने की घटनाओं को प्रबंधित करने के साथ-साथ बाघों को बाघ रिजर्व क्षेत्रों से उन क्षेत्रों में विस्थापित करना जहां बाघों की संख्या का घनत्व कम है, ताकि समृद्ध स्रोत क्षेत्रों में संघर्ष न हो, के मुद्दे शामिल हैं।

साथ ही, बाघ संरक्षण योजनाओं के अनुसार, बाघ रिजर्वों ने वन्यजीव पर्यावास की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु आवश्यकता आधारित और स्थल-विशिष्ट प्रबंधन कार्यकलाप किए हैं तथा इन कार्यकलापों के लिए बाघ परियोजना की वर्तमान केंद्र-प्रायोजित स्कीम के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(छ): तीन ऐसे अभिज्ञात गलियारे हैं जो रणथंभौर बाघ रिजर्व को कूनो राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंद्रा हिल्स बाघ रिजर्व से जोड़ते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा इस भू-परिदृश्य के भीतर आनुवंशिक विनिमय हेतु गलियारों की परस्पर संबद्धता सुनिश्चित करने के लिए एक नया बाघ रिजर्व "रामगढ़ विसधारी" अधिसूचित किया गया है। इन गलियारों तथा इनका उपयोग करके बाघों की ज्ञात आवाजाही के मामलों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

1. **रणथंभौर बाघ रिजर्व- बलेर-महाराजपुर-कूनो-माधव राष्ट्रीय उद्यान**

   टी 56- नर बाघ इस गलियारे का उपयोग करके मध्य प्रदेश के दतिया वनों में पहुंचा।

   टी 38- वर्ष 2020-2021 में नर बाघ कूनो राष्ट्रीय उद्यान से रणथंभौर बाघ रिजर्व में वापस आया।

2. **रणथंभौर बाघ रिजर्व- सेवती चंबल-कूनो-माधव राष्ट्रीय उद्यान**

   टी 38- वर्ष 2010 में इस गलियारे का उपयोग करके नर बाघ कूनो राष्ट्रीय उद्यान में आया।

3. **रणथंभौर बाघ रिजर्व- इंदिरागढ़- रामगढ़ विसधारी बाघ रिजर्व- मुकुंद्रा हिल्स बाघ रिजर्व**

   वर्ष 2003 में मचली का भंग पूंछ वाला शावक- नर बाघ रणथंभौर बाघ रिजर्व से मुकुंद्रा हिल्स बाघ रिजर्व में पहुंचा।

   टी 91- वर्ष 2017-18 में नर बाघ रामगढ़ विसधारी बाघ रिजर्व में पहुंचा जिसे बाद में मुकुंद्रा हिल्स बाघ रिजर्व में स्थानान्तरित किया गया।

   टी 98- वर्ष 2019 में नर बाघ रणथंभौर बाघ रिजर्व से मुकुंद्रा बाघ रिजर्व में पहुंचा।

   टी 115- वर्ष 2021 में नर बाघ रामगढ़ विसधारी बाघ रिजर्व में पहुंचा।

*****

अनुबंध-I

'बाघ की उप-प्रजातियों में आनुवंशिक अंत:प्रजनन' के संबंध में दिनांक 06.02.2023 को उत्तर के लिए पूछे गए लोस सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 473 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

उन बाघ रैंज वाले राज्यों, जहां बाघ परियोजना कार्यान्वित की जा रही है, का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य
1	आंध्र प्रदेश
2	अरुणाचल प्रदेश
3	असम
4	बिहार
5	छत्तीसगढ
6	झारखंड
7	कर्नाटक
8	केरल
9	मध्य प्रदेश
10	महाराष्ट्र
11	मिजोरम
12	ओडिशा
13	राजस्थान
14	तमिलनाडु
15	तेलंगाना
16	उत्तराखंड
17	उत्तर प्रदेश
18	पश्चिम बंगाल

*****

अनुबंध-II

'बाघ की उप-प्रजातियों में आनुवंशिक अंत:प्रजनन' के संबंध में दिनांक 06.02.2023 को उत्तर के लिए पूछे गए लोस सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 473 के भाग (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

गत तीन वर्षों के दौरान बाघ परियोजना की वर्तमान केंद्र-प्रायोजित स्कीम के तहत राज्य सरकारों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा

(लाख रूपए में)

क्र.सं.	**राज्य**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
1	आंध्र प्रदेश	114.48	266.51	292.11
2	अरुणाचल प्रदेश	846.31	803.76	869.08
3	असम	2198.76	2513.90	1476.75
4	बिहार	562.84	628.89	552.72
5	छत्तीसगढ	358.53	471.16	355.85
6	झारखंड	1432.07	128.45	195.06
7	कर्नाटक	2252.03	2118.01	2956.70
8	केरल	607.07	402.88	868.78
9	मध्य प्रदेश	3501.91	2551.26	3523.52
10	महाराष्ट्र	7220.39	3098.03	2991.06
11	मिजोरम	337.70	161.53	374.13
12	ओडिशा	1303.32	680.07	1056.86
13	राजस्थान	1203.19	1008.89	841.05
14	तमिलनाडु	1586.91	1336.14	1576.22
15	तेलंगाना	359.91	351.97	543.26
16	उत्तराखंड	1242.49	1671.30	1463.71
17	उत्तर प्रदेश	2289.18	923.29	1304.85
18	पश्चिम बंगाल	758.47	333.96	708.28
	कुल	**28175.56**	**19450.00**	**21949.99**

*****